पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(का0)
समस्तीपुर

अधिसूचना

विषयः– रेल सेवा से सेवानिवृत होने वाले/सेवानिवृत कर्मचारियों की पुर्न–तैनाती।

....

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0– E(NG)/II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 16.10.2017 (आरबीई सं0– 150/2017) एवं दिनांक 12.12.2017(आरबीई सं0– 193/2017) तथा महाप्रबंधक(का0)/हाजीपुर के पत्र सं0 ईसीआर/एचआरडी/पीसीपीओ/विविध/पुर्न–तैनाती दिनांक 17.07.2018 में वर्णित प्रावधानों के अर्न्तगत संरक्षा कोटियों तथा वैसे कोटियों, जो रेलवे कार्य के लिए महत्वपुर्ण हो एवं रिक्ति भी उपलब्ध हो में रेल सेवा से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी अथवा रेल सेवा से सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों से समस्तीपुर मंडल में पुर्न–तैनाती हेतु आवेदन निम्न प्रकार से आमंत्रित किया जाता हैः–

{क} पुर्न–तैनाती हेतु आवेदन करने की पात्रताः–

1. इच्छुक रेलवे कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति तिथि के तीन माह पहले तक सेवानिवृत्ति पश्चात् पुर्न–तैनाती हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अपने विभागीय अधिकारी के माध्यम से मंरेप्र(का0) कार्यालय, समस्तीपुर में किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते है।
2. रेल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी (अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी/सेवा से निष्कासित एवं SRSS एवं LARSGESS के अर्न्तगत सेवानिवृत्त कर्मचारी को छोडकर), जो पुर्न–तैनाती के इच्छुक हो/पात्रता रखते हो, वे भी निर्धारित प्रपत्र पर वांछित अभिलेखों के साथ अपना आवेदन मंरेप्र(का0)कार्यालय, समस्तीपुर में किसी भी कार्य–दिवस को जमा कर सकते है।

{ख} पुर्न–तैनाती के सामान्य शर्तः–

1. यह पुर्न–तैनाती सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के 65 वर्ष की आयु पुरी होने तक अथवा इसकी वैधता अवधि 01.12.2019 तक अथवा आरआरबी/आरआरसी से नामिका प्राप्त होने तक (जो भी पहले हो) ही होगी।
2. पुर्न–तैनाती, आवेदित कोटि में नियमानुसार उपलब्ध रिक्ति एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा।
3. मद सं0 (ख) के (1) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त पुर्न–तैनाती पर उनके कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापारवाही एवं स्थापित आचरण नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से उनकी पुर्न–तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।
4. पुर्न–तैनाती हेतु सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के सुयोग्यता/सक्षमता का मुल्यांकन प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को सक्षम कमिटि द्वारा किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन उनके Safety Records साथ ही Safety एवं Operational आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। पुर्न–तैनाती हेतु निर्धारित कोटि के अनुरूप चिकित्सा श्रेणी में फिट पाये जाने के उपरांत इन्हें प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किसी भी स्टेशन पर पुर्न–तैनात किया जा सकता है।
5. पुर्न–तैनाती पर मासिक मानदेय का निर्धारण उनके अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटा कर (अंतिम वेतन+डीए–पेंशन) किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त कोई भत्ता देय नहीं होगा। इसमें सामान्य कार्य अवधि वही होगा जो सामान्य प्रकार से नियुक्त कर्मचारियों के लिए है तथा प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किसी भी अवकाश/राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य पर बुलाया जा सकता है। इन्हें प्रत्येक पुर्ण किये माह में 02 दिन का अवकाश देय होगा, जो तैनाती की अवधि समाप्त होते ही समाप्त हो जायेगी।
6. पुर्न–तैनाती से पुर्व उक्त सभी नियमों एवं शर्तो के अधीन एक एग्रीमेंट करना होगा।

14/1/19

❖ सेवानिवृत कर्मचारियों को निम्न प्रपत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. अद्यतन पी.पी.ओ. की छाया–प्रति
2. अंतिम वेतन विवरणी
3. बैंक खाता की छाया–प्रति
4. आधार एवं पैन कार्ड की छाया प्रति
5. वर्तमान का 08 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
6. पेंशनर आई कार्ड की छाया–प्रति

❖ सेवारत कर्मचारियों को निम्न प्रपत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. अद्यतन पी.पी.ओ. की छाया–प्रति, जो सेवानिवृति पश्चात् आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा।
2. अंतिम वेतन विवरणी
3. बैंक खाता की छाया–प्रति
4. आधार एवं पैन कार्ड की छाया प्रति
5. वर्तमान का 08 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
6. रेलवे द्वारा जारी आई कार्ड की छाया–प्रति
7. पेंशनर आई कार्ड की छाया–प्रति, जो सेवानिवृति पश्चात् आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा।

रेल सेवा से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी अथवा रेल सेवा से सेवानिवृत हो चुके कर्मचारी, जो उपरोक्त नियम एवं शर्त पर पुर्न–तैनाती हेतु इच्छुक/पात्रता रखते हो वे निर्धारित प्रपत्र (सेवानिवृत होने वाले रेल कर्मचारियों हेतु **अनुलग्नक–क** एवं सेवानिवृत हो चुके रेल कर्मचारियों हेतु **अनुलग्नक–ख**) पर अपना आवेदन एक 12 इंच X 5इंच के लिफाफा में जिसपर यह अंकित होना अनिवार्य होगा– **रेलवे में पुर्न–तैनाती हेतु आवेदन**, किसी भी कार्य–दिवस को मंरेप्र(कार्मिक)कार्यालय/समस्तीपुर में जमा करा सकते है।

पताः– मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
भर्ती अनुभाग
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर
बिहार, पिन कोड– 848101

संलग्नक– अनुलग्नक–क एवं ख

(मनोज कुमार चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी–।।।
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/समस्तीपुर
दिनांकः 14.01.2019

सं0– ईसीआर/एसपीजे/01/रि–इंगेज/2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण/द0 एवं उ0)/पूमरे
3. निजी सचिव/मंरेप्र– मंरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ
4. निजी सचिव/अमंरेप्र– अमंरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ
5. वमंविप्र/समस्तीपुर 6. वमंई(समन्वय)/समस्तीपुर 7. वमंवाप्र/समस्तीपुर
8. वमंयाई/समाडि/समस्तीपुर 9. वमंयाडि/डीजल/समस्तीपुर
10. वमंसिदूई/समस्तीपुर 11. वमंविई(जी)/समस्तीपुर, 12. मंयाई/पावर/समस्तीपुर
13. वमंविई(टीआरडी)/समस्तीपुर 14. मंपचाप्र(आई/सी)/समस्तीपुर
15. मंरेप्र(का0)/सोनपुर, मुगलसराय, दानापुर एवं धनबाद
16. वकाधि(आई/सी)/निर्माण, 17. वकाधि/पीडी मगलसराय, कारखाना समस्तीपुर एवं हरनौत
18. सभी समंई, सयाई(समाडि), ससिदूई/समस्तीपुर मंडल
19. कार्याधी/एमपीपी– कृपया इसे वेवसाइट पर अपलोड करे।
20. सभी मुककनि/ककनि/समस्तीपुर मंडल, 21. सभी मुकार्याधी, कार्याधी/कार्मिक विभाग,
22. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, अजा–अजजा, ओबीसी एवं पेंशनर एशो0 समस्तीपुर मंडल

14/1/19

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/समस्तीपुर

पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर मंडल में पुर्न–तैनाती हेतु आवेदन

(अधिसूचना सं0– ईसीआर / एसपीजे / 01 / रि–इंगेज / 2018 दिनांक–14.01.2019)

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
भर्ती अनुभाग
पूर्व मध्य रेल
समस्तीपुर–848101

मै, पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में **सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृति पश्चात् पुर्न–तैनाती हेतु** निर्गत अधिसूचना मे दिये गये नियम एवं शर्तो को पढ़ने एवं समझने के उपरांत .... पद हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मेरा सेवा विवरण निम्नवत् है:–

1. नाम:–..
2. पदनाम एंव कार्यस्थल(सेवानिवृत के समय):–..
3. मंडल / यूनिट / विभाग (सेवानिवृत के समय):–..
4. जन्म तिथि:–..
5. सेवानिवृति तिथि:–...
6. सेवानिवृति का आधार:–...
7. शैक्षणिक योग्यता:–...
8. अवार्ड(यदि कोई हो):–...
9. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित):– ....
   ....
   ....
10. मोबाइल नं0:– ....
11. वेतन एवं वेतन लेवल:–...
12. संलग्नक(निम्न प्रपत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया–प्रति)
    1. अंतिम वेतन विवरणी
    2. पैन कार्ड
    3. आधार कार्ड
    4. बैंक खाता
    5. 08 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

मै घोषणा करता हुॅ कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये सभी विवरण पुर्णतः सत्य है यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसका जवाबदेह मै खुद होउॅगा तथा में खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है साथ ही यह भी घोषणा करता हुॅ कि सेवा–निवृति के उपरांत मेरे द्वारा पी.पी.ओ एवं पेंशनर परिचय–पत्र की छाया प्रति कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर:–

स्थान:– नाम:–

तिथि:– पद एवं कार्यस्थल:–
(वर्तमान का)